कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 173 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 15–03–2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़, देहरादून का पत्रांक 08B / UCP / 06 / 12 / 2015 / FC / 2712 दि0 31–03–2016 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नप्रकार है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.2246 हे0 जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 01 मान्य है। (शर्त सं0 01 के अनुपालन में सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 37,36,557.00 (रू0 सैंतीस लाख छत्तीस हजार पॉच सौ सतावन) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–पमस्यारी, पट्टी–देवीछौना, तहसील–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 16.2246 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित / हस्तान्तरित कर दिया गया है)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 02 मान्य है। (शर्त सं0 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 56,75,498.00 (रू0 छप्पन लाख पिचहत्तर हजार चार सौ अठानबे) वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्वता प्रस्तुत की जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 मान्य है। (वचन बद्वता पत्र संलग्न है)।

क्रमशः – 2 – पर

S.E

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता सं0 037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11, भूतल, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय। धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 मान्य है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 05 मान्य है। (वचन बद्वता पत्र संलग्न है)।

क्र0सं0	अन्य शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 01 मान्य है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 02 मान्य है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.2246 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 मान्य है।
4	प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत चूरा के पौधों का रोपण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 05 मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊॅचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 06 मान्य है।
7	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip Plantation की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 07 मान्य है।

क्रमशः – 3 – पर

क्र0सं0	अन्य शर्तें	अनुपालन आख्या
8	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
9	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
10	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
11	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 185 से अधिक न हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
13	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
14	यदि विधिवत् स्वीकृत में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाई० पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं० 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 385 / पी०एम०जी०एस०वाई० दि० 11 –06–2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद–पिथौरागढ़ में डीडीहाट (दैवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग में पमस्यारी ग्राम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको अवगत कराना है कि डीडीहाट (दैवीछौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 12 / 2015 / एफ0सी0 / 2712 दिनांक 30.03.2016 से प्राप्त हुई थी जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.0046 है0 जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना सशर्त था, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पमस्यारी पट्‌टी दैवीछौना, तहसील डीडीहाट में लैण्ड बैंक से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध करायी गयी जिसका म्यूटेशन भी पत्रांक 7025 / सात–35 / 2016–17 दिनांक 01.05.2017 से हो चुका है।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि जमतड़ी सिविल सोयममें लैण्ड बैंक न होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यह जगह चयनित नहीं हो पायी थी। CA Area का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है। ऑनलाईन प्रस्ताव में KML file, digital map, SoI toposheet पूर्व में ही पमस्यारी ग्राम में ही दिखायी गयी है। CA scheme & CA site suitability तथा owenership proof इत्यादि में टंकण त्रुटि के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल सोयम ग्राम जमतड़ी में अंकित हो गया था।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल सोयम ग्राम जमतड़ी के बदले सिविल सोयम ग्राम पमस्यारी समझा जाये।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़

J.E

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 118 /03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 22–02–2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवीछौना–जमतड़ी मोटर मार्ग हेतु 8.112 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है–

शर्त संख्या 1– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.2246 हे0 जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) ₹ 3736557.00 मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है, जिसके चालान की प्रति संलग्न की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–पमस्यारी, पट्टी–देवीछौना, तहसील–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 16.2246 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण (म्यूटेशन) एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 2– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–09 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि ₹ 5675498.00 वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है, जिसके चालान की प्रति संलग्न की जा रही है।

शर्त संख्या 3– के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया जा रहा है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)।

शर्त संख्या 4– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि ₹ 94,12,055.00 (रूपये चौरानबे लाख बारह हजार पचपन) मात्र को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उत्तरांचल एस0बी0 एकाउण्ट नं0 1508911389852014147 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्पलेक्स शाखा, ब्लॉक–11, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, न्यू दिल्ली–110003 में जमा कर दिया गया है। धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

शर्त संख्या 5– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल वर्ज में शर्तानुसार अनुपालन कर दिया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

(3)

आदेश.

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–08बी0/यू.सी.पी./06/12/2015 एफ.सी./2712 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवक्चिौना)से जमतड़ी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 8.112 है0 वन भूमि के बदले 16.224 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवविचौना)से जमतड़ी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 8.112 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी डीडीहाट् की सहमति/संस्तुति के आधार पर ग्राम पमस्यारी पट्टी देवविसौन तहसील डीडीहाट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–51 श्रेणी–9(3) ख अन्य वन के खेत नम्बर–02 रकवा 3.265 है, 04 रकवा 3.072 है0, 05 रकवा 5.083 है0 तथा खेत नम्बर–2750/7274 मध्ये 4.804 है0 कुल 04 खेतों की 16.224 है0 वृक्षविहीन सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार डीडीहाट् स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मई 01, 2017

(सी. रविशंकर)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या–1025/सात–35/2016–17 दिनांक मई 01 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड डीडीहाट्।
5. तहसीलदार डीडीहाट् को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का **वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

वन अधिकारी ... 9480 12-1 2-6-17 ... प्रभाग, पिथौरागढ़

RN-9480/12-1 ... 5-9-2017

(सी. रविशंकर)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि क्षेत्राधिकारी डीडीहाट उन्हें ... भूमि ... अपने ...

सा0 अनु0
आ. का. ...

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल / **Email** – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE, REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 12 / 2015 / एफ0सी0 /2919 दिनांक:31 / 03 / 2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीविचौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/8985/2014 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 144/X-4-15/1(51)/2015 दिनांक 31.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/8985/2014 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22.07.2015 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–पिथौरागढ़ में डीडीहाट (देवीविचौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.1123 है0 वन भूमि के ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.2246 है0 जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई

दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण **Online portal** के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.2246 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत चूरा के पौधो का रोपण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
7. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
11. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 185 से अधिक न हो।
12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
14. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
e-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 645 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 29 अगस्त, 2016 ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
पिथौरागढ़ ।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत प्रस्तावित (देवबिछोना) से जमतडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.1123 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में ।**

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 144/X–4–15–1(51)/2015 दि0 31.3.2015।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेश एवं सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो कर अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1, 2 व 3 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	क्षतिपूरक	16.2246 हे0	230302/–	3736557/–
2	रिक्त पड़े आस–पास उचित वृक्षारोपण	5.25 किमी0	345312/–	3634408/–
3	एन0पी0वी0	8.1123 है0	699000/–(ईको क्लास Vi) घनत्व 0.2	5675498/–

कृपया उक्त डिमान्ड आन लाइन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ

[illegible]AGENCY COPY

NEFT / RTGS [illegible]HALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-08-2016

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	11389852014147
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/12/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	I.D. PWD PMGSY PithoragarhPithoragarh
Amount(in Rs)	9412055/-

Amount in Words :Ni[illegible]ety-Four Lakh Twelve Thousand and Fifty-Five Rupees Onl[illegible]

NEFT/RTGS to [illegible]e made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508911389852014147 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is s[illegible]rictly to be used for making payment to CAM[illegible]A by NEFT/RTGS only
- This challan is v[illegible]lid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-08-2016

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	11389852014147
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/12/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address:	I.D. PWD PMGSY Pithoragarh Pithoragarh
Amount(in Rs)	9412055/-

Amount in Words :Ninety-Four Lakh Twelve Thousand and Fifty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508911389852014147 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making succe[illegible]ssful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskca[illegible]pa@corpbank.co.in

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

▽ **Help**

Click on **Generate Challan** to generate challan.

Paid : This icon shows that the payment has been deposited.

To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

◉ Proposals received on or after 15th July 2014 ○ All Proposals received upto 14th July 2014

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Statu
1	FP/UK/ROAD/21547/2016	ROAD215472016181	6121547181	Bungacinna Algarh MR km. 7.00 to Kachna MR	Road	2.203	PUBLIC WORK DEPARTMENT	17-10-2018	09-1-2019	Generate Challan (fund_payment.aspx? pid=GT7gH4v61m47o5sbySg+YM6bbIFPBRwF3ZxeYMZEJMkmKgMuLM5N3Ffto7rOArihbhOdJNFydl8J62qazWT2Qg==)	
2	FP/UK/ROAD/9897/2015	ROAD98972015372	6198970372	Construction of Dyora to Barmau Motor Road	Road	7.5	PUBLIC WORK DEPARTMENT	17-8-2017	02-1-2018	Paid	Paid
3	FP/UK/ROAD/7374/2014	ROAD73742014837	11373742014837	Sumeti to Bhaiteri Motor Road	Road	3.809	PUBLIC WORK DEPARTMENT	30-3-2015	12-9-2016	Paid	Paid
4	FP/UK/ROAD/7789/2014	ROAD77892014354	11377892014354	Salla-Sail To Rautgarha Motor Road	Road	6.79	PUBLIC WORK DEPARTMENT	23-3-2016	30-8-2016	Paid	Paid
5	FP/UK/ROAD/8985/2014	ROAD89852014147	11389852014147	Didihat (Devichona) to Jamtari motor road	Road	8.1123	PUBLIC WORK DEPARTMENT	31-3-2016	30-8-2016	Paid	Paid
6	FP/UK/ROAD/7395/2014	ROAD73952014504	11373952014504	Rithakani (Katpatiya) to Dobans M/R	Road	4.935	PUBLIC WORK DEPARTMENT	20-3-2015	21-3-2016	Paid	Paid
7	FP/UK/ROAD/7355/2014	ROAD73552014408	11373552014408	Bungachina to Kusail M/R	Road	4.984	PUBLIC WORK DEPARTMENT	24-3-2015	21-3-2016	Paid	Paid
8	FP/UK/ROAD/14803/2015	ROAD148032015176	113148032015176	Construction of Salla to Sail-Rautgarh motor road	Road	4.769	PUBLIC WORK DEPARTMENT	07-11-2015	16-3-2016	Paid	Paid

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)
(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

:: वचनबद्वता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवीछौना–जमतड़ी मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी।

J.E

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो० नि० विभाग
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

:: वचनबद्धता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवीछौना–जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात Strip plantation प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तानुसार करा दिया जायेगा।

J.E

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो॰ नि॰ विभाग
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

खसरा बाबत फ्लोरीकल्चर पॉलीहाउस हेतु प्रस्तावित भूमि, ग्राम [illegible] रा० उ० नि० क्षेत्र देवायथौल तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ

खसरा नं०	रकबा (हे०में)	खतौनी खाता संख्या	नाम खातेदार	प्रस्तावित रकबा (हे०में)	किस्म भूमि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
2	3.265	51	गोल खा० नि० (जंगल)	3.265	श्रेणी 9(3)ख	
4	3.072	51	— " —	3.072	— " —	
5	5.083	51	— " —	5.083	— " —	
2750/7274 मि०	8.149	51	— " —	4.804	— " —	
			योग	16.224 हे०		

खसरा तैयार किया,

[signature]

डी०एस० चौहान 3.2.15
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र देवायथौल
तहसील डीडीहाट

नकल खतौनी (गैर म० खि०)

ग्राम प्रमदपुरी रा० उ० खि० क्षेत्र [illegible] तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़

श्रेणी 9(3) ख अन्य वन

खाता संख्या	नाम खातेदार	मुद्दत काश्त	खसरा नं०	रकबा	विवरण
51	गैर म० खि० (जंगल)		2	3.265	× सचिव आयुक्त महोदय के नैनीताल के आदेश [illegible] 94 के अनुसार खसरा नं० 6, 7, 9, 13, 21, 23, 25, 27, 263, 265, 398, 399, 401, 403, 405, 407, 779, 894 से कुल 8.19.11 (आठ [illegible]) [illegible] भूमि से [illegible] प्रमदपुरी के नाम अंकित [illegible] 8.5.94 ([illegible] पटवारी [illegible] तहसील डीडीहाट)
			4	3.072	
			5	5.083	
			×6	1.437	
			×7	3.886	
			×9	0.940	
			11	1.257	
			×13	2.094	
			15	0.386	
			×21	0.251	
			×23	0.145	
			×25	0.170	
			×27	0.439	
			216	0.506	
			237	0.094	
			×263	0.917	× सचिव आयुक्त महोदय नैनीताल के आदेश दिनांक 6.1.2000 के अनुसार खसरा नं० 594, 596, 736, 737, 738 कुल रकबा 0.742 हे० ग्राम [illegible] प्रमदपुरी के नाम अंकित [illegible] ([illegible] पटवारी) दिनांक 15.3.2001
			×265	0.630	
			×398	0.420	
			×399	0.515	
			×401	1.880	
			×403	0.877	
			×405	2.006	
			×407	0.751	
			409	0.595	
			410	0.314	
			414	0.587	
			415	0.940	
			417	4.952	
			418	0.872	
			[illegible]	[illegible]	

नाम खातेदार	संख्या खाता	खसरा नं०	रकबा	विवरण
		566	0.178	
		594	0.154	
		596	0.089	
		736	0.023	
		737	0.038	
		779	0.605	
		894	0.334	
		3041	0.877	
		3043	1.631	
		3045	1.567	
		3046	1.192	
		3048	2.582	
		3050	1.879	
		3051	2.372	
		3052	2.515	
		3054	1.693	
		3055	1.066	
		3057	0.562	
		3058	0.605	
		3061	0.752	
		3062	1.128	
		3064	0.459	
		3066	0.249	
		3067	0.209	
		3069	0.251	
		3073	0.090	
		3075	0.095	
		3867	0.627	
		3869	0.627	
		3870	0.334	
		3872	0.231	
		3873	0.439	
		[illegible]	[illegible]	

नाम खातेदार	मुद्दा खसरा	खसरा नं	रकबा	विवरण
		3880	1.008	
		3881	1.711	
		3883	0.414	
		4324	0.940	
		4325	0.925	
		4327	0.216	
		4328	0.189	
		4330	0.235	
		4331	0.284	
		4399	0.354	
		4400	0.291	
		4402	0.270	
		4403	0.414	
		4405	0.686	
		4406	0.772	
		4409	0.643	
		4411	0.506	
		4413	2.392	
		4491	1.547	
		4493	1.298	
		4494	2.222	
		4518	0.755	
		4592	0.820	
		4594	0.765	
		4595	0.564	
		4596	1.153	
		2750/7274	8.149	
		2752/7276	6.394	
योग		96	104.848	

असल से नकल किया

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत डीडीहाट (देवविचौना) से जमतड़ी मोटर मार्ग लम्बाई 10.525 किमी0 के निर्माण हेतु 8.1123 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पिथौरागढ़ को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–पमस्यारी, पट्टी–देवविसौना, तहसील–डीडीहाट के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या 51 श्रेणी–09(3) ख अन्य वन के खेत नं0 –02, रकवा–3.265 हे0, 04 रकवा–3.072 हे0, 05 रकवा–5.083 हे0 तथा खेत नं0–2750/7274 मध्ये 4.804 हे0 कुल 04 खेतों को 16.224 हे0 वृक्ष विहीन सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1025/ सात–35/2016–17 दिनांक 01.05.2017 के कम में हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97– 800 (II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांक / अल्मोड़ा, दिनांक 2022।

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, शुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी पिथौरागढ।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

योजना का नाम– प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत तक किमी० प्रस्तावित

1–पौधारोपण स्थल का नाम– ग्राम पंचस्थली (देवगैरा) है० कुल रोपण – है०

2–रोपित किये जान वाले पौधों की सं०–1100 पौध प्रति है०।

3–रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति–बांज,फल्यांट,तेजपात,हरड़ आदि

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वे व सीमांकन	1	है०	147	147.00
2	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	2000	पौध	8.7	17400.00
3	स्थल सफाई कार्य /लैन्टाना झाड़ी कटान कार्य	1	है०	8581	8581.00
4	घेरबाड़ कार्य (84 घ०मी० प्रति है०)	84	घमी०	478	40152.00
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	2000	गडडे	11.14	22280.00
6	निरिक्षण बटिया निर्माण कार्य	1	है०	737	737.00
7	अन्य व्यय	1	है०	400	400.00
	योग प्रथम वर्ष–:				89697.00
	योग–:			**SAY**	**89600.00**
	द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)				
1	पौधों का मूल्य (द्वितीय वर्ष)	2000	पौध	1.75	3500.00
2	गडडा भरान कार्य	2000	गडडे	1.75	3500.00
3	पौध ढुलान कार्य सिरबोझ व वाहन द्वारा	2000	पौध	9.7	19400.00
4	पौध रोपण व थावलाबन्दी	2000	पौध	3.13	6260.00
5	निराई गुराई प्रथम बार	2000	पौध	1.15	2300.00
6	निराई गुराई द्वितीय बार	2000	पौध	1.15	2300.00
7	रासायनिक दवा व मल्चिंग	2000	पौध	0.32	640.00
8	अनरक्षण कार्य 8 माह का	1	है०	7235	7235.00
9	वृक्षारोपण के अन्दर ज्वलनशीन पदार्थ को हटाना	1	है०	350	350.00
10	अन्य व्यय	1	है०	700	700.00
	योग– द्वितीय वर्ष				46185.00
	योग–:			**SAY**	**46102.00**
	रोपण के बाद प्रथम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है०	10852	9460.00
	योग– रोपण के प्रथम वर्ष का				9460.00
	योग–:			**SAY**	**9460.00**
	रोपण के बाद द्वितीय वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है०	9460	9460.00
	योग– रोपण के द्वितीय वर्ष का				9460.00
	योग–:			**SAY**	**9460.00**

J.E A.E

वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा रेंज

	रोपण के बाद तृतीय वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	[illegible]	9460.00
	योग– रोपण के तृतीय वर्ष का				9460.00
	यो–			SAY	9460.00
	रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के चतुर्थ वर्ष का				9460.00
	योग–:			SAY	9460.00
	रोपण के बाद पंचम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के पंचम वर्ष का				9460.00
	योग–:			SAY	9460.00
	रोपण के बाद षष्टम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के षष्टम वर्ष का				9460.00
	योग–:			SAY	9460.00
	रोपण के बाद सप्तम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के सप्तम वर्ष का				9460.00
	योग–:			SAY	9460.00
	रोपण के बाद अष्टम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के अष्टम वर्ष का				9460.00
	योग			SAY	9460.00
	रोपण के बाद नवम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के नवम वर्ष का				9460.00
	योग			SAY	9460.00
	रोपण के बाद दशम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	9460	9460.00
	योग– रोपण के नवम वर्ष का				9460.00
	योग			SAY	9460.00
	प्रति है0 रेट (कुल योग–:)				230302.00

1. प्रति है0 व्यय धनराशि– 230302
2. परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल–8.1123
3. दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल–8.1123x2=16.2246
4. दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–16.2246 x230302=3736557.82

रू0– 3736557.00

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़